21/18 भगाराम V/S सरपंच ग्रा.पं. भुंका भगतसिंह वगैरा

भगाराम पुत्र पूनमाराम जाति कुम्हार निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	अज अदालत फर्द अहकाम (नियम 26) बनाम	1.सरपंच ग्राम पंचायत भुकां भगतसिंह 2.तहसीलदार सिणधरी 3.नारणाराम पुत्र पूनमाराम वगैरा जाति कुम्हार निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर मुकदमा स. 21 /2018

भगाराम

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो कि हुकम की तामील मे जारी हुए
05.6.2018	यह अपील अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अमराराम चौधरी द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ~~केम्प~~ स्थल अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भुंका वगतसिंह में पेश की गई है। जो म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हो। अपीलाण्ट स्वंय उपस्थित। उतरदाता सख्या 3 से 8 उपस्थित। इनकी पहचान हल्का पटवारी भुंका भगतसिंह पार्वती चौधरी द्वारा दी गई। उतरदाता सख्या 02 की ओर से अपीलाण्ट की अपील में उल्लेखित तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबाली जबाव पेश किया गया। जो शामिल मिसल हों। अपीलाण्ट के बयान कलमबद्ध किये गये एवं उतरदाता संख्या 3 से 8 के संयुक्त बयानात लेते हुए कलमबद्ध कर शामिल मिसल किये गये। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उतरदाता संख्या 3 से 8 ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट उसका सगा भाई है। हमारे पिता पूनमाराम के फोत होने पर हमारे नाम भरे गये नामान्तकरण में हमारे भाई अपीलाण्ट का सही नाम भगाराम के स्थान पर मगाराम दर्ज किया गया। जो गलत किया गया है। अतःग्राम डेरपाना की खसरा संख्या 40 एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 50 व 79 में अंकित गलत नाम मगाराम के स्थान पर भगाराम दुरूस्त किया जाता है,जो हम सब सहमत है। हमें कोई आपर्ति नहीं है। हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात,बयानात एवं तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोट के अनुसार भगाराम व मगाराम एक ही व्यक्ति है,रेकर्ड में गलत नाम मगाराम के स्थान भगाराम दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है। एवं अपीलाण्ट के सगे भाई उतरदाता संख्या 3 से 8 स्वंय ने अपने संयुक्त बयानात में स्वीकार किया है,कि अपीलाण्ट उनका सगा भाई है। और हमारे पिता पूनमाराम के फोत पर भरे गये नामान्तकरण संख्या 65 में लिपिकीय ऋुटि से भगाराम के स्थान पर मगाराम नाम दायर किया गया। जबकि हमारे भाई का सही नाम भगाराम है। जो दुरूस्त किया जाता है। तो हमें कोई आपर्ति नहीं है। एवं उप पंजियक कार्यालय सिणधरी में दिनांक 6.1.2015 को अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 3 से 8 के पक्ष में पंजीबद्ध हुए हकतर्कनामा में अपीलाण्ट का सही नाम भगाराम दर्ज है,आधारकार्ड में	पुखराज डूंगाराम पम्पाराम देवाराम मगाराम Identified by CFA

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

भी अपीलाण्ट का सही नाम भगाराम अंकित है। उतरदाता संख्या 10 से 13 सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है,लेकिन उनसे कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई है। एवं अपीलाण्ट एवं उतरदाता की संयुक्त खातेदारी खेत ग्राम भुकां भगतसिंह तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 198/59 रकबा 16 बीधा भूमि में अपीलाण्ट का नाम भगाराम दर्ज है। इससे भी प्रमाणित है,अपीलाण्ट का वास्तविक नाम भगाराम है। एवं मजमें आम में भी पुछताछ करने पर पाया कि अपीलाण्ट की सही नाम भगाराम है। तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी जांच रिर्पोट में अपीलाण्ट का भगाराम नाम शुद्व किये जाने की अनुशंसा की है।

लिहाजा अपीलाण्ट की अपील राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए अन्दर म्याद सुमार की जाकर अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर ग्राम डेरपाना तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 40 रकबा 112–08 बीधा एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 50,79 कुल रकबा 31–18 बीधा भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि मगाराम के स्थान पर भगाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

आदेश आज दिनांक 5/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

पत्रावली रिझू फैसलसुमार होकर दाखिज दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी